Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 107–2019/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 27 जून, 2019 (06 आषाढ़, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	1. पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019(2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21)।	187–188
	2. हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2019(2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23)। (केवल हिन्दी में)	189–190
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं।	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जून, 2019

संख्या लैज. 21/2019.– दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 जून, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21

पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019

पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918,

हरियाणा राज्यार्थ, को आगे

संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में,– 1918 का पंजाब अधिनियम 6 की कतिपय धाराओं का संशोधन।

''सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल संवर्ग) मध्यस्थ स्तर पर–

(i) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश;

(ii) अपर वरिष्ठ न्यायाधीश;

(iii) उच्चतर वरिष्ठ न्यायाधीश; तथा

सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल संवर्ग) प्रवेश स्तर पर–

(i) सिविल न्यायाधीश;

(ii) सिविल न्यायाधीश, ग्रेड II ;

(iii) सिविल न्यायाधीश, ग्रेड I ; तथा

सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ मण्डल संवर्ग) मध्यस्थ स्तर पर–

(i) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों;

(ii) अपर वरिष्ठ न्यायाधीशों;

(iii) उच्चतर वरिष्ठ न्यायाधीशों; तथा

सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ मण्डल संवर्ग) प्रवेश स्तर पर–

(i) सिविल न्यायाधीशों;

(ii) सिविल न्यायाधीशों, ग्रेड II ;

(iii) सिविल न्यायाधीशों, ग्रेड I।'',

शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, क्रमशः ''सिविल न्यायाधीश(वरिष्ठ मण्डल); सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल); सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ मण्डल); सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ मण्डल)'' शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1918 का पंजाब अधिनियम 6 की धारा 18 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''18. न्यायालयों की श्रेणियां.– प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887, के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालयों तथा तत्समय लागू किसी अधिनियमिति के अधीन स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त, सिविल न्यायालयों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात् :–

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय ;

(2) अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय ;

(3) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल) का न्यायालय ;

(4) सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल) का न्यायालय।''।

.....

मीनाक्षी आई० मेहता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

57157—L.R.—H.G.P., Chd.